

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 14-12-2017

सं० -3/एम- 114 /2010. 15983 / बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 [समय-समय पर यथा संशोधित] के नियम -31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित विनियमावली बनाती है-

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह विनियमावली "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. आरोप पत्र का गठन।- अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के उपनियम (3) के अधीन सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप-पत्र अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करवायेगा।

3. आरोप का प्रारूपण।- (1) आरोप पत्र चार भाग में होगा।

(2) प्रथम भाग में संबंधित सरकारी सेवक की व्यक्तिगत सूचनाएँ अभिलिखित की जायेगी।

(3) द्वितीय भाग में अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के रूप में अन्तर्विष्ट होगा।

(4) तृतीय भाग में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अन्तर्विष्ट होगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित, सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन अन्तर्विष्ट रहेगा।

(5) चतुर्थ भाग में उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेगा।

(6) सुलभ उदाहरण हेतु एक काल्पनिक आरोप पत्र परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) अधिसूचना संख्या- 322 दिनांक- 31.01.2011 द्वारा अधिसूचित "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2011" एतद द्वारा निरसित की जाती है।

(2) किन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत विनियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस विनियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा या समझी जाएगी मानो यह विनियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक -3/एम-114/2010सा0प्र0-15983/पटना-15, दिनांक 14-12-2017

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक -3/एम-114/2010सा0प्र0-15983/पटना-15, दिनांक 14-12-2017

प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट-1

आरोप-पत्र

(1) प्रथम भाग – सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम:-
2. पदनाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :-
5. सेवा/संवर्ग का नाम :-
6. पद समूह एवं विभाग :-
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक :-
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर :-
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन :-
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि :-

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

५/११/१७

(2) द्वितीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. श्री (नाम एवं पदनाम)..... द्वारा अपने (तत्समय पदस्थापन विवरण)..... की अवधि में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के बदले व मार्गदर्शिका में विहित प्रावधानों के विपरीत स्वयं एवं कतिपय अन्य पदाधिकारियों के सुविधा हेतु ₹25.00 लाख की लागत पर जिला के तीन अनुमण्डलों में रंगशाला का निर्माण कराया गया। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रंगशाला भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था और न ही रंगशाला का निर्माण जनहित में था।
2. श्री द्वारा उपर्युक्त कंडिका- 1 में वर्णित अनियमितता करते हुए विकास योजनाओं के लिए आबंटित राशि को अपने निजी लाभ हेतु कतिपय सहायक अभियंताओं को सीधे उनके नाम से आबंटित किया गया तथा योजना की राशि विमुक्त भी की गयी। श्री द्वारा किया गया उक्त कार्य मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के अनुरूप नहीं है तथा उनके द्वारा उक्त अनियमितता के क्रम में बिहार वित्त नियमावली के नियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया।
3. उक्त से स्पष्ट है कि श्री ने जवाहर रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के विपरीत रंगशाला का निर्माण कराया गया, बिहार वित्त नियमावली के नियम का उल्लंघन किया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

मंगू

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(3) तृतीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

श्री के के रूप में पदस्थापन काल से संबंधित श्री सदस्य विधान सभा के परिवाद/आरोप पत्रांक-..... दिनांक के आलोक में विभाग के पत्रांक-XXXXXXX दिनांक XXXXXXX द्वारा प्रशासी विभाग (विभाग का नाम) से मंतव्य की मांग की गयी। श्री द्वारा उक्त प्रकरण में ग्रामीण विकास विभाग को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए इसकी सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराई गई।

2. विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त उनके पत्र संख्या-XXXXXXXXX दिनांक XXXXXXXXX द्वारा सूचित किया गया कि श्री, तत्कालीन द्वारा जवाहर रोजगार योजना मद की राशि से नाजायज ढंग से अपने एवं अन्य पदाधिकारियों की सुविधा हेतु जिला के तीन अनुमण्डल मुख्यालय 1) XXXXXXXXX 2) XXXXXXXXX 3) XXXXXXXXX में रंगशाला का निर्माण प्रति भवन लगभग 8-9 लाख रुपये की लागत से कराया गया। उक्त रंगशाला के निर्माण में कुल 25.00 लाख रुपये खर्च किया गया।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन, उनकी आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं ग्रामीण जीवन का गुणात्मक विकास करना है। इसके अन्तर्गत आवश्यक संरचनाओं का निर्माण होना चाहिए, जैसे कि सिंचाई का प्रबन्ध, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय भवन आदि। चूंकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रंगशाला के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था अतएव रंगशाला का निर्माण जनहित में नहीं माना जा सकता है एवं इस अनियमितता के लिए श्री दोषी है।

3. श्री के द्वारा अनियमित रूप से बिहार वित्त नियमावली के नियम- XXXXXXXXX में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विकास योजनाओं को अपने विशेष लाभ हेतु सीधे कुछ सहायक अभियंताओं के नाम से राशि आवंटित किया गया एवं योजना राशि सीधे नाम से उक्त सहायक अभियंताओं को विमुक्त किया गया, जिसे संबंधित अभियंता अपने निजी खाते में जमा कर कार्य कराया गया। अगर किसी अभियंता की अकस्मात् मृत्यु हो जाती तो सरकारी राशि समाप्त हो जाती। सरकारी पदाधिकारी सरकार के राशि हेतु पद से जबाबदेह होते हैं। इस प्रकार का अनियमित आवंटन निम्नलिखित तीन सहायक अभियंताओं को किया गया :-

(i) श्री XXXXXXXXX,

(ii) श्री XXXXXXXXX

(iii) श्री XXXXXXXXX

कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति में सहायक अभियंताओं के नाम से बड़ी राशि अग्रिम देने का औचित्य नहीं बनता है। मात्र यह कह देना कि कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति में सहायक अभियंता को अग्रिम दिया गया संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है।

4. उक्त से स्पष्ट है कि श्री XXXXXXXXX द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के बदले मार्गदर्शिका के विपरीत नजायज ढंग से स्वयं एवं कतिपय अन्य

मान

पदाधिकारियों के सुविधा हेतु रंगशाला का निर्माण कराया गया, जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रंगशाला निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था न ही उक्त निर्माण जनहित में था। श्री XXXXXXXXX ने विशेष लाभ हेतु सीधे सहायक अभियंताओं को योजना राशि आवंटित किया गया, जो बिहार वित्त नियमावली के नियम- XXXXXXXXX में निहित प्रावधानों का भी उल्लंघन है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मार्गदर्शिका के विपरीत कोई निर्णय नहीं ले सकती है।

5. उक्त से स्पष्ट है कि श्रीने जवाहर रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के विपरीत रंगशाला का निर्माण कराया गया, बिहार वित्त नियमावली के नियम का उल्लंघन किया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

4/11/19

(4) चतुर्थ भाग – (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	श्री xxxxxxxxxxx, सदस्य विधान सभा के परिवाद पत्र पत्रांक 351 दिनांक 16.04.1994 की प्रति।	(कुल-xxxxxx पृष्ठ)
2.	xxxxxxxxxxxxx विभाग के पत्रांक- xxxxxxxxxxxx दिनांक xxxxxxxxxxxx की छायाप्रति।	(कुल-xxxxxx पृष्ठ)
3.	श्री xxxxxxxxxxx के स्पष्टीकरण दिनांक xxxxxxxxxxx की छायाप्रति	(कुल-xxxxxx पृष्ठ)
4.	xxxxxxxxxxxxx विभाग के पत्रांक xxxxxxxxxxxx, दिनांक xxxxxxxxxxxx की छायाप्रति।	(कुल-xxxxxx पृष्ठ)
5.	जवाहर रोजगार योजना के मार्गदर्शिका की छायाप्रति।	(कुल-xxxxxx पृष्ठ)
6.	बिहार वित्त नियमावली के नियम- xxxxxxxxxxxx की छायाप्रति।	(कुल-xxxxxx पृष्ठ)

(ख) साक्षियों की सूची

1. (नाम एवं पदनाम)
2. (नाम एवं पदनाम)
3. (नाम एवं पदनाम)

सामाजिक

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 14-12-2017

संख्या -3/एम०-114/2010...15984.../ अधिसूचना संख्या 15983 दिनांक 14-12-2017 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश्वर राम) 14/12/17
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna-15, dated. 14-12-2017

No. 3/M-114/2010GAD...15983.../ In exercise of powers conferred under Rule-31 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time), the Government of Bihar makes the following Regulations :-

- Title, extent and commencement.**— (1) These Regulations may be called the "Bihar Framing of Articles of Charge against government servants Regulations, 2017."
(2) It shall extend to the whole State of Bihar.
(3) It shall come into force immediately.
- Framing of articles of charge.**— The disciplinary authority shall record or cause to be recorded the definite and distinct articles of charges under subrule (3) of rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).
- Drafting of article of charges.**— (1) Article of charges shall be in four parts.
(2) In first part, the personal informations of the concerned Government servant shall be recorded.
(3) Second part shall contain the substance of the imputations of misconduct or misbehavior as a definite and distinct articles of charge .

(4) Third part shall contain a statement of the imputations of misconduct or misbehavior in support of each article of charge which shall contain a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the government servant.

(5) Fourth part shall contain a list of such document by which, and a list of such witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(6) An imaginary model articles of charge is enclosed as Appendix -1 for example.

4. Repeal and Savings.- (1) The Bihar Framing of Articles of Charge against Government Servants Regulations, 2011, notified vide notification no. 322 dated 31.01.2011, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of the powers and under The Bihar Framing of Articles of Charge against Government Servants Regulations, 2011 shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by these regulations as if these regulations were in force on the day on which such things or such action was done or taken.

By the order of the Governor of Bihar

(Rajendra Ram)

Additional Secretary to the Government

Memo No.—3/M—114/2010GAD-15983/ Patna-15, Dated 14-12-2017

Copy forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

(Rajendra Ram)

Additional Secretary to the Government

Memo No.—3/M—114/2010GAD-15983/ Patna-15, Dated 14-12-2017

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Departments/Secretary to the Governor/All Divisional Commissioner/All District Magistrate for information and necessary action.

(Rajendra Ram)

Additional Secretary to the Government

Appendix-I
Memo of Article of charges

(1) First part:- Personal information regarding the concerned Government servant.

1. Name :-
2. Designation :-
3. Date of Birth :-
4. Date of Retirement :-
5. Name of Service/Cadre :-
6. Group of post and Department :-
7. Gradation serial/Civil list serial :-
8. Pay band and Grade pay/Pay level :-
9. Year of allegation and the then place
of posting :-
10. The date of being time barred under
Rule 43(b) of the Bihar Pension Rules :-

Name of the Officer and
Signature.

4/3/17

(2) Second part :- The substance of imputation of misbehave or misconduct.

1. Sri (Name and designation)....., during his posting as (the then place of posting and post held)..... constructed Rangshalas, instead of the essential infrastructures, at the cost of Rs. 25.00 lacs for the facilities of the officers in the three subdivisions of the District, against prescribed provisions and Directives of Jawahar Rojgar Yojna. There was no provision in the Jawahar Rojgar Yojna to construct Rangshalas and the construction of Rangshala was not in the public interest.
2. Sri committed the irregularities as described it in the above para-1 and the fund allotted to the development schemes were allotted directly among the certain Assistant Engineers in their names for his own benefit and the fund of the scheme was also released. The said action of Sri is not in accordance with the prescribed provisions contained in the directives and provisions contained in rules of Bihar Financial Rules have been violated in course of the aforesaid irregularities.
3. That from the above, it is obvious that Sri has constructed the Rangshalas against the Directive of Jawahar Rojgar Yojna and has violated the rule of financial Rules. His such conduct violates the Rule 3(i) of Bihar Government Servant Conduct Rules.

Name of the Officer and Signature.

4/7/92

(3) Third part :- Clarification (Abhikathan) of misbehave or misconduct.

In the light of a complaint/allegation received against Sri being posted as vide letter No..... dated of Sri the Member of Bihar Legislative Assembly, comments had been sought from the Administrative Department (name of the department) vide letter no. dated of department. Sri submitted his explanation in the said context in the Rural Development Department and information of the same to this department has also been submitted.

2.department after examination, informed vide its letter No..... dated that Sri the then, illegally constructed the Rangshalas at the cost of 8-9 lacs rupees from the fund of Jawahar Rojgar Yojna in the three sub-divisional Head quarters of the District for the facilities of his own and other officers. In the construction of aforesaid Rangshalas Rs. 25.00 lacs have been invested as expenditure.

3. The main objective of the Jawahar Rojgar Yojna is to create additional employment in the rural areas for unemployed persons who are below poverty line, to develop their economic and social basic needs in the rural villages. In this Yojna, the essential constructions should be done such as management for irrigation, plantation of tree, village roads, school, hospital building, etc. Because of the fact that there was no provision in the Jawahar Rojgar Yojna to construct the Rangshalas, the construction of Rangshalas cannot be construed in the public interest and for this commission of irregularities Sri is guilty.

Sri by violating the provisions of Rule of Bihar Pension Rules, allotted the fund among some Assistant Engineers for his own benefit and the fund related to the scheme was directly released in the name of the Assistant Engineers. By depositing the same fund in their own Account, the work was done by them. If any of the Engineers may have died all of a sudden then the Government

M.A.W

exchequer might have lapsed or lost. The Government servants are responsible by virtue of their posts. Such irregular allotments were related to three Assistant Engineers :-

- (i) Sri
- (ii) Sri
- (iii) Sri

There is no justification in releasing such huge allotment to Assistant Engineer's in advance in the absence of the Executive Engineer. The plea taken in statement that in the absence of the Executive Engineer, the Assistant Engineer's were given an advance cannot be acceptable or satisfactory reply.

4. From the above, it is abundantly clear that Sri has acted beyond the Directive of the Jawahar Rojgar Yojna and in lieu of basic infrastructure, he has illegally, for his own facility and for other officers constructed the Rangshalas whereas neither there was any provisions under the Jawahar Rojgar Yojna to construct the Rangshalas nor it was in public interest. Sri for his own package benefit directly allotted the fund related to Yojna among the Assistant Engineers, which is violation of concerned provisions of rule of Bihar financial Rules. The District Rural Development Authority can never take any decision against the Directives.

5. From the above, it is obvious that Sri has constructed the Rangshalas against the Directive of Jawahar Rojgar Yojna which is contrary to the provisions laid down in rule of Bihar financial Rules. His, this conduct is violation of rule 3(i) of Bihar Government Servants Conduct Rules.

Handwritten signature/initials.

Name of the Officer and Signature

(4) Fourth part :- (A) List of Documents by which it is proposed to prove the allegations.

Sl. No.	Concerned letters record	No. of pages.
1.	Complaint (Pariwad) Xerox copy of letter No. 391 dated 16.04.1994 of Sri The Member of Bihar Legislative Assembly.	Total pages.
2. the Xerox copy of department's letter No..... dated	Total pages.
3.	Xerox copy of explanation dated of Sri	Total pages.
4.	Xerox copy of letter No..... datedof the..... Department.	Total pages.
5.	Xerox copy of directive of Jawahar Rojgar Yojna.	Total pages.
6.	Xerox copy of Rule of Bihar Financial Rules.	Total pages.

(B) List of witnesses

1. (Name and Designation)
2. (Name and Designation)
3. (Name and Designation)

Name of the Officer and Signature.

M. G. W.